

प्रेस नोट

दिनांक 06.10.2021

साइबर जागरूकता दिवस के अवसर पर पुलिस अधीक्षक महोदय द्वारा छात्र-छात्राओं को किया गया जागरूक ।

आज दिनांक 06.10.2021 को साइबर जागरूकता दिवस के रूप में मनाया गया, जिस क्रम में इंदिरा गांधी पी0जी0 कालेज गौरीगंज में साइबर जागरूकता कार्यक्रम का आयोजन किया गया । कार्यक्रम में पुलिस अधीक्षक अमेठी श्री दिनेश सिंह द्वारा छात्र-छात्राओं को साइबर अपराध जैसे- एटीएम कार्ड जनित अपराध, फेसबुक, व्हाट्स एप, इंस्टाग्राम, आधार इनेबल्ड पेमेंट सिस्टम (AEPS) से संबन्धित अपराधों के बारे में विस्तार से जानकारी देते हुए उन अपराधों से बचाव हेतु निम्न बिन्दुओं पर जागरूक किया गया ।

1. साइबर अपराधी आपकी निजी जानकारी इकट्ठा करते हैं और इसका उपयोग इंटरनेट पर आपकी झूठी पहचान बनाने में उपयोग कर सकते हैं । किसी भी सार्वजनिक साइट, ब्लॉग या सोशल मीडिया पर अपनी निजी जानकारी कभी भी साझा/शेयर न करें । जैसे कि आपकी सरकारी आईडी, पासवर्ड, बैंक खाता नम्बर, पिन इत्यादि ।
2. ईमेल, मैसेजिंग ऐप या इन्सटैंट मैसेंजर पर प्राप्त लिंक्स पर क्लिक करने से पहले सावधान रहें और यदि आप उनकी सत्यता पर विश्वास नहीं करते, तो हमेशा भेजने वाले या उनकी आधिकारिक हेल्पलाइन से संपर्क करें । जैसे कि बैंक, दूरसंचार ऑपरेटर, बीमा कंपनी आदि ।
3. अपने पासवर्ड को जटिल रखें (अर्थात अक्षरों – जैसे a, b, c, संख्याओं। जैसे 1, 2, 3 और विशेष अक्षरों – जैसे @, #, % को मिलाकर पासवर्ड बनाये) और उसे किसी के साथ साझा न करें। विभिन्न साइटों/ऐप्स के लिए अलग-अलग पासवर्ड का प्रयोग करें ।
4. ऑनलाइन बैंकिंग या ऑनलाइन लेनदेन करने के लिए कभी भी सार्वजनिक/ मुफ्त वाईफाई का उपयोग न करें ।
5. साइबर अपराध होने पर तत्काल पुलिस को 155260 पर अथवा 112 पर सूचना दें । 24 से 48 घंटे के अंतराल में आपके धन को वापस कराने की अधिक संभावना रहती है ।
6. सिम ब्लाक/एक्सपायर का संदेश प्राप्त होने पर दिये गये नम्बरों पर वार्तालाप न करें ।
7. फोन पर कैश रिवार्ड को अपने खाता में लेने के नाम पर अज्ञात व्यक्ति के बताये हुये नियमों का पालन न करें ।
8. ओएलएक्स पर कोई भी वाहन/सामान खरीदने वाले व्यक्ति को बेंचने वाले व्यक्ति द्वारा यदि अपना कोई सरकारी आई-कार्ड/कैंटीन कार्ड डाला गया है तो उसे चेक कराने के बाद ही लेन-देन करें ।